रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

सचिवालय ग्रन्थालय
SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF INDIA
भारत सरकार

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 98] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 26, 1990/वैशाख 6, 1912
No. 98] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 26, 1990/VISAKHA 6, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 19—आई टी सी (पी एन)/90-93

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल, 1990

विषय : आयात-निर्यात नीति, 1990-93 (खंड-1)

फाईल सं. 6/1/90-ई.पी.सी.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 1-आई टी सी (पी एन) 90-93 दिनांक 30 मार्च, 1990 के अंतर्गत प्रकाशित यथासंशोधित निर्यात नीति 1990-93 (खंड-1) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. उक्त नीति में नीचे निर्दिष्ट उपर्युक्त स्थानों पर निम्नलिखित संशोधन किये जाएंगे :—

क्र.	आयात-निर्यात नीति, 1990-93 (खंड-1) की पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	61	अध्याय-15 वर्तमान उपपैरा 197(3)	उप पैरा 197(3) में निम्नलिखित संशोधन किया जाए :— "(3) उप पैरा 206(क) और (ज) में उल्लिखित अभिग्रहित निर्यातों के लिए आयातित पूंजीगत माल से विनिर्मित माल का संभरण भी निर्यात आभार की प्रतिपूर्ति में गिना जाएगा।

1	2	3	4
			(4) (क) अंतिम निर्यातक की संस्तुति पर, पूर्वोक्त सुविधा निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले मध्यवर्ती उत्पादों के निर्माताओं को अनुमति दी जा सकती है।
			(ख) इस पुस्तक के उपपैरा 206(क) और (ज) के अधीन संभरणों के लिए इस स्कीम के अधीन आयातित पूंजीगत माल से, माल के विनिर्माण के लिए मध्यवर्ती उत्पादों के विनिर्माताओं को भी पूर्वोक्त सुविधा की अनुमति दी जा सकती है।
			(ग) इन मामलों में मध्यवर्ती उत्पादकों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनके साथ अंतिम निर्यातक का संस्तुति-पत्र भी प्रस्तुत किया गया हो। आवेदक और अंतिम निर्यातक दोनों निर्धारित निर्यात आभार की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होंगे, यह आभार, पूंजीगत माल के आयात के लिए मध्यवर्ती उत्पादक और/या अंतिम निर्यातक पर लागू होने वाले किसी अन्य आभार के अतिरिक्त होगा। इन दोनों पक्षों द्वारा क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंध पत्र संयुक्त रूप से निष्पादित किया जाएगा।
			(5) आवेदन पत्र, प्रक्रिया पुस्तक 1990-93 (खंड-1) के अध्याय 15 में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार विचारणीय होंगे।"

3. वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 2-आई टी सी (पी एन) 90-93 दिनांक 30 मार्च, 1990 के अधीन प्रकाशित यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक, 1990-93 (खंड-1) की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है।

उक्त प्रक्रिया पुस्तक में नीचे विनिर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित संशोधन किये जाएंगे :—

क्र. सं.	प्रक्रिया पुस्तक 1990-93 (खंड-1) की पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	64	अध्याय-15 पैरा 314	विद्यमान पैरा 314 के पश्चात् निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा :— "सीमाशुल्क की रियायती दर पर पूंजीगत माल का आयात 314(क) 1. कम से कम तीन साल के निर्यात निष्पादन वाले पंजीकृत निर्यातक को, जिसका कि उसके द्वारा विनिर्मित और निर्यात किये गये उत्पादों से प्रत्यक्ष संबंध हो, या तो खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन सूचीबद्ध या अनुज्ञा-पत्र प्रदान करने योग्य पूंजीगत माल के आयात की अनुमति दी जा सकती है। आयात की, यदि अनुमति दी जाएगी तो यह नीति पुस्तक के पैरा 197 में निहित प्रावधानों के अधीन होगी। 2. आयात किये जाने वाले पूंजीगत माल के मूल्य का ध्यान किये बिना, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय, (ई पी सैल), उद्योग भवन, नई दिल्ली को, किसी लिमिटेड कंपनी के मामले में पंजीकृत कार्यालय द्वारा और अन्य मामलों में मुख्य कार्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के 15 सेट नीचे विनिर्दिष्ट सूचना/दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किये जाएंगे :— (1) इस पुस्तक के परिशिष्ट 15-क में दिये गये फार्म में आवेदन पत्र· (2) प्रत्येक बड़ी मद के अलग-अलग लागत बीमा भाड़ा मूल्य सहित पूंजीगत माल की विस्तृत सूची· (3) आवेदन पत्र शुल्क की अदायगी के लिए बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट, (4) विदेशी संभरक के प्रोफार्मा बीजक की साक्ष्यांकित या फोटोस्टेट प्रति, जिसमें अलग-अलग रूप से, (1) माल भाड़े की धनराशि और (2) उद्धृत लागत बीमा भाड़ा मूल्य में शामिल बीमा (आवेदित पूंजीगत माल के [illegible] देश की मुद्रा में) अथवा आयातों के [illegible] स्रोत· दर्शाये गये हों। (5) विनिर्माताओं के सचित्र पैम्फलेट सूच[illegible] तालिका· (6) पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी की गई आर. सी. एम. सी की फोटो प्रति· (7) आयात किये जाने वाले पूंजीगत माल से संबद्ध माल के निर्यातों का कथन, जो पूर्ववर्ती 3 लाइसेंसिंग वर्षों के लिए सनदी लेखापाल/लागत लेखा पाल/कम्पनी सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित हो। (8) पंजीकरण प्रमाण पत्र/औद्योगिक लाइसेंस/केन्द्र/राज्य की सरकार द्वारा प्रदत्त मान्यता की एक प्रमाणित फोटो प्रति· (9) मूल रूप में यह घोषणा कि आवेदित मशीनरी के आयात के परिणाम स्वरूप आवेदक यूनिट अनुज्ञप्त/स्वीकृत उत्पादन क्षमता से ज्यादा उत्पादन नहीं करेगी। (10) यदि लीजिंग कंपनियों के माध्यम से पूंजीगत माल के आयात में पूंजी लगाने का प्रस्ताव है, तो कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित नियमों की फोटो प्रति और न्यूनतम अभिदत्त पूंजी और निधियों को निर्दिष्ट करते हुए सनदी लेखापाल का

प्रमाणपत्र और इस आशय के प्रमाण पत्र कि वे मदें स्टाक एक्सचेंज में पूंजीगत हैं (इस पुस्तक के पैरा 178-179 की अन्य शर्तें भी लागू होंगी)।

(11) उत्पाद कर योग्य सामान के मामले में विनिर्माता के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लाइसेंस की फोटो कापी, और

(12) यदि आवेदक मध्यवर्ती विनिर्माता है तो माल के निर्यात हेतु उसकी इच्छा को दर्शाते हुए सिफारिश किए गए पत्र सहित, अंतिम विनिर्माता-निर्यातक का उपर्युक्त (6) और (7) के अनुसार पूर्ण विवरण संलग्न करें।

3. आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श एक अन्तर-मंत्रालयीय निर्यात संवर्धन-पूंजीगत माल समिति" द्वारा किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात होंगे। यदि समिति अनुमोदन कर देती है तो लाइसेंस मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, उद्योग भवन, नई दिल्ली के कार्यालय में सी.जी. प्रभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

1. कस्टम के माध्यम से माल की निकासी से पूर्व निर्यातक मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, उद्योग भवन, नई दिल्ली के कार्यालय में निर्यात आभार एकक (ई.ओ.सैल) के साथ निर्यात आभारों की प्रतिपूर्ति हेतु एक क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बन्धपत्र का निष्पादन करेगा। मध्यवर्ती विनिर्माता द्वारा आयात किए जाने के मामले में क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बन्ध पत्र का निष्पादन मध्यवर्ती विनिर्माता और अन्तिम निर्यातक द्वारा संयुक्त रूप में किया जाएगा। निर्यात आभार आयातित पूंजीगत माल के लागत बीमा, भाड़ा मूल्य के तीन गुना के बराबर होगा। यह निर्यात आभार पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान उन्हीं उत्पादों के किए गए निर्यातों के अतिरिक्त औसत मूल्य के बराबर होगा। बैंक गारंटी की राशि इस स्कीम के अंतर्गत बचाए गए शुल्क के पूर्ण मूल्य के समकक्ष होगी। इसके अलावा, आयातक को पूंजीगत माल की निकासी के समय सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित सूचना/घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी।

5(1) आयातक सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को आयात लाभों की प्रतिपूर्ति हेतु अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। पूंजीगत माल के आयात के उपरान्त किए गए निर्यातों के सम्बन्ध में आयात लाभों की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु अपना प्रथम और बाद का आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आयातक पूंजीगत माल लाइसेंस के पूर्ण ब्यौरे के साथ रियायती शुल्क पर किए गए पूंजीगत माल के आयात हेतु आवेदक पर लगाए गए निर्यात आभारों की प्रतिपूर्ति के लिए किए गए ऐसे निर्यातों की गिनती हेतु अनुरोध करेगा। यदि निर्यात स्वीकार कर लिए जाते हैं तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी इस पुस्तक परिशिष्ट 15-अ में दिए गए प्रपत्र में साथ-साथ "निर्यात प्रमाण पत्र" जारी करेंगे।

(?) नीति पुस्तक के पैरा 197(4) के अंतर्गत आने वाले मामलों के सम्बन्ध में आयात लाभों की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु अपने आवेदनों के साथ-साथ अन्तिम निर्यातक भी एक बीजक जोकि मध्यवर्ती विनिर्माता द्वारा दिया जाएगा और बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा, प्रस्तुत करेगा। अन्तिम निर्यातक द्वारा भी यह घोषणा करेगा कि दिनांक के उक्त बीजक सं. द्वारा मध्यवर्ती विनिर्माता से माल प्राप्त हुआ है और यह निर्यात किए गए उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त हुआ है यदि निर्यात स्वीकृत हो जाते हैं तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी अन्तिम निर्यातक को "निर्यात प्रमाण-पत्र" जारी करेंगे। स्वीकार्य निर्यात यदि एक से अधिक आभारियों के बीच प्रयोग किए जाते हैं तो विभिन्न आभारियों के बीच निर्यातों की समानुपातिका को मध्यवर्ती उत्पाद में प्रयुक्त समानुपात की सीमा में अनुज्ञेय किया जाए और इसे सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अन्तिम निर्यातक के लिखित अनुरोध पर "निर्यात प्रमाण पत्र" पर पृष्ठांकन करने के जरिए किया जाएगा। समानुपातिक की सीमा अन्तिम निर्यातक द्वारा की गई घोषणा के अनुसार होगी? ऐसी स्थिति में एक से अधिक उपयुक्त समानुपातिका मूल्य के प्रमाणिकता मूल्य के प्रमाणपत्र जारी किए जायेंगे, जोकि निर्यातक द्वारा परिभाषित प्रयोग हेतु प्रयुक्त किए जायेंगे।

6. "निर्यात प्रमाणपत्र" को मूल रूप से छमाही आधार पर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के कार्यालय में ई.ओ. सैल को प्रस्तुत किया जाएगा। यह प्रमाणपत्र उक्त छमाही की

1	2	3	4
			समाप्ति से एक महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। उन निर्यात उत्पादों के मामलों में जो किसी आयात प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता नहीं दर्शाते हैं जो पूंजीगत माल का निर्यातक उक्त ई.ओ. सैल को छमाही आधार पर निर्यातकों के साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। 7. ई.ओ. सैल निर्धारित निर्यात आभारों की पूर्ति के सम्बन्ध में प्रगति को मनीटर करेगा। इस पुस्तक के पैरा 363 और 364 के उपबन्ध इस स्कीम पर भी लागू होंगे। निर्यात आभारणों की पूर्ति करने में असफल रहने पर यथासंशोधित निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 और यथासंशोधित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत दाण्डिक कार्यवाही के हकदार होंगे। इस पुस्तक के पैरा 366 में निर्धारित निर्यात आभार के अनुपालन के लिए आर.ई.पी. लाइसेंस को लौटाने की सुविधा इस स्कीम के अंतर्गत आयातित पूंजीगत माल के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी। क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बन्ध पत्र को निर्धारित आभारों की पूर्ति के उपरान्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की पूर्ण संतुष्टि पर पुनर्जीवित किया जाएगा।
2.	354	परिशिष्ट—15–ठ	मौजूदा परिशिष्ट-15-ठ के उपरान्त इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध-1 और 2 को परिशिष्ट 15-ड और 15-ढ के रूप में जोड़ा जाएगा।

4. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 26-4 90 सार्वजनिक सूचना सं० 10 आई० टी०सी० (पी एन)/90-93 का उपक्रम I,

परिशिष्ट 15-ड

सीमाशुल्क की रियायती दर के अन्तर्गत निर्यात उत्पादन हेतु पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदन-पत्र

आयात-निर्यात कोड संख्या
और जारी करने का वर्ष

1. लि. कम्पनियों के मामले में पंजीकृत कार्यालय का नाम व पता और अन्यों के मामले में मुख्य कार्यालय का नाम व पता :—

2. सहयोगी कम्पनियों सहित शाखाएं यदि कोई हो, का ब्यौरा :—...

3. अंगभूत फैक्ट्रियों/यूनिटों का पता :—

4. फैक्ट्री का पूरा पता जहां पर आयातित पूंजीगत माल लगाया जाता है :—

5. एस.एम.आई./डी.जी.टी.डी./औद्योगिक लाइसेंस/केन्द्र/राज्य सरकार की मान्यता की पंजीकरण सं. और तारीख प्रति संलग्न करें।

6. क्या आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण या विदेशी सहयोग की स्वीकृति में कोई निर्यात आभार निहित है, यदि हां, तो ब्यौरा दें :—

7. फिक्स्ड परिसम्पत्तियों के संबंध में पूंजीगत निवेश

(क) भूमि

(ख) भवन

(ग) मशीनरी/उपकरण

(क) आयातित मशीनरी
(लागत बीमा भाड़ा)

(ख) देशज मशीनरी जिसमें आयातित कम्पोनेन्टस है।
(क्रय मूल्य)

(ग) अन्य देशज मशीनरी कुल सं.—

8. अन्तिम विनिर्मित उत्पादों का ब्यौरा :—

9. मौजूदा आयातों के लिए वित्त पोषण का स्रोत :—

(क) बैंक/वित्तीय संस्था से रुपया ऋण

(ख) बैंक/वित्तीय संस्था से विदेशी मुद्रा का ऋण

10. यदि आवेदन व लघु उद्योग यूनिट है, तो क्या वह प्रस्तावित आयात के बाद भी लघु उद्योग यूनिट रहना ही जारी रखेगा।

11. यदि वचनबद्धता एम.आर.टी.पी. अधिनियम के अन्तर्गत है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करें।

12. क्या आयातित मशीनें लगाने के बाद अनुज्ञप्त क्षमता बढ़ा ली जाएगी।

13. (क) आयात के लिए आवेदित पूंजीगत माल का विवरण

(ख) पूंजीगत माल के उद्गम का देश :

(ग) यदि आयात नीति 1990-93 के परिशिष्ट 1 भाग क अथवा परिशिष्ट 1 भाग ख के पूंजीगत माल निर्दिष्ट किए गए हैं तो उनकी क्रम सं. निर्दिष्ट करें।

14. जिस लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है उसका लागत-बीमा-भाड़ा-मूल्य।

15. उपर्युक्त मशीनों में से विनिर्मित किए जाने वाले अन्तिम उत्पादों के नाम

16. क्या आवेदक एक विनिर्माता निर्यातक है अथवा एक मध्यस्थ विनिर्माता है।

17. यदि आवेदक एक विनिर्माता-निर्यातक है तो निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :—

(क) आर.सी.एम.सी. सं. और तिथि)और जिस अवधि तक वैध है निर्दिष्ट करें।

(फोटोकापी संलग्न करें)

(ख) गत 3 लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान विनिर्माता निर्यातक के रूप में किए गए निर्यात का विवरण और निर्यात का जहाज-पर्यन्त-निःशुल्क मूल्य

(निर्यात की प्रत्येक मद के लिए अलग)

(कृपया प्रत्येक निर्यात उत्पाद के लिए सनदी लेखाकार/लागत-लेखाकार/कम्पनी सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित अलग-अलग विवरण संलग्न करें

(ग) (ग) कृपया दर्शाएं :—

(क) यदि सामान्यतः आयातित हो तो, लगाये जाने योग्य शुल्क की पूरी रकम

(ख) सीमाशुल्क की रियायती दर की योजना के अन्तर्गत देय शुल्क की रकम, और

(ग) बचाए गए शुल्क की रकम

(घ) यदि पूंजीगत माल आयात के लिए अनुचित है तो वचनबद्ध निर्यात-आभार का मूल्य :—

(क) आयातित मशीनरी के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के तीन गुना के बराबर मूल्य दर्शाएं

(ख) आयात की जाने वाली मशीनरी से संबद्ध उत्पादों के निर्यात का औसत स्तर दर्शाएं

(ग) वचनबद्ध निर्यात आभार का कुल मूल्य (रकम)

18 यदि आवेदक मध्यवर्ती उत्पाद का विनिर्माता है तो,

(क) उपर्युक्त क्रम सं. 17 के अनुसार अन्तिम विनिर्माता-निर्यातक का विवरण प्रस्तुत करें।

(ख) अंतिम निर्यातक से सिफारिश पत्र प्रस्तुत करें जिसमें यह भी वर्णित किया जाए कि अन्तिम निर्यातक आवेदक के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित आभार अपने ऊपर लेने के लिए इच्छुक है।

19. निदेशकों, साझेदारों, मालिक अथवा कर्त्ता, जैसा भी मामला हो, का नाम एवं पता (विनिर्माता-निर्यातक और मध्यवर्ती विनिर्माता यदि कोई हो तो, का नाम और पता)

घोषणा/वचनबद्धता

मैं/हम एतद्द्वारा सत्य निष्ठा पूर्वक यह वचन देता हूं/देते हैं घोषणा करता हूं/करते हैं कि :—

(1) मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस आवेदन-पत्र में दिये गए ब्यौरे और विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है, और कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है।

ऊपर निर्दिष्ट निर्यात उत्पाद के

(2) इस योजना के अन्तर्गत पूंजीगत माल के आयात के लिए कोई अन्य आवेदन नहीं किया गया है और न ही भविष्य में किया जाएगा।

(3) मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता हूं/ देते है कि सीमाशुल्क की रियायती दर के तहत पूंजीगत माल के आयात की स्कीम के अधीन आयातित पूंजीगत माल से विनिर्मित माल का निर्यात आयातित मशीनरी के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के तीन गुणा तक करेंगे। करेंगे, यह पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान उक्त वर्णित उत्पाद के औसत वार्षिक निर्यात निष्पादन के अतिरिक्त होगा।

(4) मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता हूं/देते हैं कि मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात उद्योग भवन नई दिल्ली, को 6 महीने की अवधि समाप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के अन्दर छमाही आधार पर निर्यात का विवरण प्रस्तुत करूंगा/करेंगे। ऐसा न करने पर मेरे/हमारे विरुद्ध आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 और सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन कार्रवाई की जा सकती है।

(5) मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता हूं/देते हैं कि यदि आवेदन पत्र में दी गई कोई सूचना गलत या असत्य या भ्रामक पाई गई तो इस आवेदन पत्र के आधार, पर दिया गया कोई लाइसेंस आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947, यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 और सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन की जाने वाली अन्य कार्रवाई को ध्यान में रखे बिना रद्द किया जा सकता है या अप्रभावी किया जा सकता है।

(6) मैं/हम यह समझता हूं समझते हैं कि उक्त विवरण में दिया गया कोई भी तथ्य गलत या झूठा पाया गया तो मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरे विरुद्ध सरकार इस संबंध में कोई अन्य दण्ड दे सकती है या कार्रवाई कर सकता है।

(7) मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैं आवेदक की ओर से इस विवरण के सम्पादन करने और इस पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर
साफ अक्षरों में नाम
पदनाम
पूरा सरकारी पता
पूरा आवासीय पता

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 10 आईटीसी (पीएन) 90-93, दिनांक 26-4-1990 का उपाबन्ध।

परिशिष्ट-15-द

सामोशुल्क की रियायती दर के अन्तर्गत पूंजीगत माल के आयात की स्कीम के संबंध में निर्यात का प्रमाण-पत्र

1. उस पंजीकृत निर्यातक का नाम और पता जिसको प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

2. इस प्रमाण-पत्र द्वारा सम्मिलित निर्यातों का विवरण।

क्र. सं.	पोतलदान बिल सं. एवं तिथि	निर्यात की तिथि	निर्यात का मद	आयात नीति के परिशिष्ट-17 के अनुसार निर्यात उत्पाद का वर्गीकरण	निर्यात का जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य
1	2	3	4	5	6

निर्यात का कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य कुल—

दिनांक----------

कार्यालय सील सहित निर्यातक आयात-निर्यात के हस्ताक्षर

MINISTRY OF COMMERCE

Import Trade Control

PUBLIC NOTICE NO. 10 ITC(PN)/90-93

New Delhi, the 26th April, 1990

Subject :— Import & Export Policy 1990-93 (Vol. I).

File No. 6/1/90-EPC :—Attention is invited to the Import & Export Policy, 1990-93 (Vol.I), published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1—ITC(PN)/90—93 dated 30th March, 1990 as amended.

2. The following amendments shall be made in the said policy at appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of the Import & Export Policy 1990-193 (Vol. I)	Reference No.	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	61	Chapter-XV Sub-Para 197(3)	The existing sub-para 197(3) shall be amended as under :—

(1)	(2)	(3)	(4)

"(3) Supply of the goods manufactured out of the imported capital goods to be deemed exports covered by sub-para 206(a) and (h) will also count towards fulfilment of the export obligation.

(4) (a) On the recommendation of the ultimate exporter, the aforesaid facility may be allowed to the manufacturers of those intermediate products which are used in manufacture of the export product.

(b) The aforesaid facility may also be allowed to the manufacturers of the intermediate products for manufacturing the goods out of the capital goods imported under this scheme for supplies under sub-paras 206(a) and (h) of this book.

(c) In these cases, the applications will be considered from the intermediate manufacturers provided the same is received along with a letter of recommendation from the ultimate exporter. Both, the applicant as well as the ultimate exporters, shall be responsible for the fulfilment of the prescribed export obligation. This obligation shall be in addition to any other obligation imposed on the intermediate manufacturers and /or the ultimate exporter for import of Capital Goods. The Indemnity -cum- Surety bond shall be jointly executed by both these parties.

(5) The applications will be considered in accordance with the procedures laid down in Chapter-XV of the Handbook of Procedure 1990--93 (Vol. I)."

3. Attention is also invited to the Handbook of Procedures, 1990-93 (Vol. I), published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2-ITC(PN)/90–93 dated the 30th March, 1990, as amended. The following amendments shall be made in the said Handbook at appropriate places indicated below:—

1. Page No. of the Handbook of Procedures 1990-93 (Vol I)	Reference No.	Amendments
(1)	(2)	(3)
(1)	64 Chapter-XV Para 314	After the existing para 314, the following new para shall be added:— "IMPORT OF CAPITAL GOODS AT CONCESSIONAL RATE OF CUSTOMS DUTY 314(A).1. A registered manufacturer exporter having export performance of minimum three years may be allowed import of those capital goods, listed either under OGL or are licensable, which have a direct nexus to the products manufactured and exported by him. The imports, if permitted, will be subject to the provisions contained in para 197 of the Policy Book. 2. Irrespective of the value of the Capital Goods sought to be imported, fifteen sets of application shall be submitted by the Registered Office in the case of a Limited Company and Head Office in the case of others to the Office of the Chief Controller of Imports & Exports (E.P. Cell), Udyog Bhawan, New Delhi, together with the information/documents specified below:— (i) Application in Form reproduced at Appendix XV-M of this book; (ii) Detailed list of Capital Goods with a break-up of the individual c.i.f. value of each major item;

(1)	(2)	(3)	(4)
			(iii) Bank receipt/demand draft towards payment of application fees; (iv) The attested or photostat copy of the proforma invoice of the foreign supplier separately showing (i) the amount on account of freight and (ii) Insurance included in the c.i.f. value quoted (in the currency of the country of import of the capital goods applied for) or alternative source of imports, (v) Manufacturers, illustrated pamphlets/catalogue, (vi) Photocopy of the R.C.M.C. issued by the Registering authority; (vii) Statement of exports of the goods having a nexus with the Capital Goods sought for import duly certified by a Chartered Accountant/Cost Accountant/Company Secretary, for the preceding 3 licensing years; (viii) A certified photo copy of the Registration Certificate/Industrial licence/Recognition by Central/State Government; (ix) A declaration in original that the import of the machinery applied for shall not result in exceeding the licenced/approved production capacity of the applicant unit; (x) If import of capital goods is proposed to be financed through leasing companies, the photo copy of Articles duly attested by Registrar or Companies, Chartered Accountant Certificate indicating the minimum paid up capital and reserves and certificate from stock exchange to the effect that they are listed in the stock exchange (other condition of para 178-179 of this Book shall also be applicable); (xi) A photo copy of Central Excise licence for manufacturer, in case of exciseable goods; and

(1)	(2)	(3)	(4)
			(xii) If the applicant is an intermediate manufacturer, furnish full details of (vi) & (vii) above of the ultimate manufacturer-exporter alongwith his letter of recommendation, indicating his willingness to export the goods.
			3. The applications will be considered by an inter-ministerial "Export Promotion—Capital Goods Committee" headed by the Chief Controller of Imports & Exports. If the Committee approves, the licence will be issued by the C.G. Division in the office of the Chief Controller of Imports and Exports, Udyog Bhawan, New Delhi.
			4. Before clearance of the goods through Customs, the importer shall execute an Indemnity -cum-Surety bond for fulfilment of the export Obligation with the export obligation Cell (E.O. Cell) in the office of the CCI&E, Udyog Bhawan, New Delhi. In case of import by the intermediate manufacturer, indemnity-cum-surety bond shall be executed jointly by the intermediate manufacturer and the ultimate exporter. The export obligation shall be equivalent to three times the cif value of the capital goods imported. This obligation shall be over and above the average value of exports made of the same products during the preceding three licensing years. The amount of bank guarantee shal be equivalent to the full value of the duty saved under this Scheme. In addition, the importer at the time of clearance of the Capital Goods shall also be re-required to furnish such information/declaration as may be required by the Customs authorities.
			5.(i) The importer of Capital Goods shall continue submit his application for grant of import replenishment benefits to hislicensing authority concerned. After import of Cpaital Goods while submitting his first and subsequent applications for grant of import replenishment benefits on exports made, the importer will request for counting each ex-exports towards fulfilment of export obligation imposed on the applicant for import of Capital Goods at concessional duty, with full details of the Capital Goods Licence. If the exports are admitted, the licensing authority will simultaneously issue a "Certificate of Export" in the proforma given in Apendix XV-N of this book.
			(ii) For cases covered by para 197(4) of the policy book, along with his appplication for grant of import replenishment benefits, the ultimate exporter shall also furnish the invoice issued by the intermediate manufacturer, duly cerified by the Bank. The ultimte exporter shall also give a declaration that the goods received from the intermediate manufacturers vide the said inovice No.———dated———have been used in the manufacture of the product exported. If the exports are admitted, the licensing authority will issue "Certificate of export" to the ultimate exporter. In case the admissible exports are to be used amongst more than one obligants apportionment of the exports amongst the various obligants may be permitted to the extent of proportion of intermediate products used, by way of making endorsement on the "Certicate of Export", on a written request of the ultimate exporter, by the licensing authority concerned. The extent of apportionment will be as per the declaration of the ultimate exporter. In such a situation more than one such certificate with appropriate apportioned value will be issued,

(1)	(2)	(3)	(4)
			which in turn can be used by the exporters for defined use. 6. "Certificate of Export", shall be submitted in original on six monthly basis to the E.O. Cell in the office of thd Chief Controller of Imports & Exports, Udyog Bhawan, New Delhi. This Certificate shall be required to be submitted within a period of one month from the expiry of the said six months. In the case of export products which do not qualify for any import replenishment, the importer of capital goods shall submit the evidence of exports to the aforesaid E.O. Cell on Six monthly basis 7. The E.O. Cell will monitor the progress made in fulfilment of the prescribed export obligation. The provisions of paras 363 and 364 of this Book will also apply to this scheme. Failure to fulfil the export obligation will entail penal action under the Imports and Exports (Control) Act, 1947, as amended, Imports (Control) Order, 1955, as amended and the Customs Act, 1962. The facility of surrender of REP licences to discharge the prescribed export obligation in para 366 of this Book shall not apply to the capital goods imported under this scheme. The Indemnity-cum-Surety bond shall be redeemed only after the fulfilment of the obligation laid down to the full satisfaction of the Chief Controller of Imports & Exports."
(2)	254	Appendix XV-L	After the existing Appendix XV-L, Appendices XV-M and XV-N, as reproduced at Annexe-I and II to this Public Notice, shall be added.

4. The above amendments have been made in public interest

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports & Exports

Annex-I to the Ministry of Commerce Public Notice No. 10-ITC(PN)/90-93 dated 26-4-1990

APPENDIX XV-M

Applications for import of Capital Goods for export production under te concessional rate of Customs duty.

I. E. Code Number and year of issue.

1. Name and Address of the Registered Office in the case of Limited Companies and Head Office in the case of others.

2. Details of Branches, if any, including associated companies.

3. Address of constituent factories/units.

4. Full address of the factory where the Capital Goods imported under their scheme will be installed.

5. Registration Number & Date of SSI, DGTD/Industrial licence/Recognition by Central/State Government (enclose copy).

6. Whether the letter of Intent/Industrial Licence/Registration or foreign Collaboration approval contains any export obligation; if so, give details.

7. Capital investment on fixed assets:—

A. Land

B. Building

C. Machinery/equipments

(a) Imported machinery (cif value)

(b) Indigenous Machinery having imported components (Purchase Price)

(c) Other indigenous machinery.

Total Rs. ——————

8. Details of end products manufactured.

9. Source of finance for the present imports:—

(a) Rupee loan from Bank/financial institutions.

(b) Foreign exchange loan from Bank/ Financial Institution.

10. If the applicant is an SSI Unit, whether it will continue to remain so after proposed imports.

11. If the undertaking is under MRTP Act, attach Registration Certificate.

12. Whether the licensed capacity will be exceeded after installation of imported machines.

13. (a) Details of the Capital Goods applied for import:

(b) Country of Origin of Capital Goods :

(c) Indicate the Sl. No. of the Capital Goods if listed in Appendix-I Part A or Appendix-I Part B of the Import Policy, 1990-93:

14. C.I.F. value of the Licence applied for

15. Name the end products to be manufactured out of the above machines.

16. Whether the applicant is a manufacturer-exporter or is an intermediate manufacturer.

17. If the applicant is a manufacturer-exporter furnish the following information:—

(A) Indicate the RCMC Number and date (enclose photocopy) and the period upto which it is valid.

(B) Details of items exported as a manufacturer-exporter, during the preceding 3 licensing years and its f.o.b. value of exports (separate for each item of export) (please enclose a statement duty certified by a Chartered Accountant/Cost Accountant/Company Secretary separately for each export product).

(C) Please indicate

(a) full amount of duty leviable, if imported normally,

(b) amount of duty payable under the scheme of concessional rate of Customs duty; and

(c) amount of duty saved.

(D) The value of export obligation undertaken if the capital goods are permitted for import:—

(a) Indicate the value which is equal to three times the c.i.f. value of imported machinery.

(b) Indicate the average level of the exports of the products having a nexus with the machinery sought to be imported.

(c) Total value of export obligation undertaken (a+b).

18. If the applicant is a manufacturer of Intermediate product:

(A) furnish the particular as per Sl. No. 17 above of the ultimate manufacturer-exporter.

(B) furnish a letter of recommendation from the ultimate exporter which shall also indicate that the ultimate exporter is willing to undertake the prescribed obligation jointly with the applicant.

19. Name & Address of Directors, Partners, Proprietor or Karta, as the case may be (of the manufacturer-exporter and the intermediate manufacturer if any).

Declaration/Undertaking

I/We hereby solemnly undertake/declare that:—

(i) I/We declare that the particulars and the statements made in this application ase true to the best of my/our knowledge and belief, and nothing has been concealed or held therefrom.

(ii) that no other application for import of Capital Goods under this Scheme has been made or will be made in future against the export product indicated above.

(iii) I/We hereby undertake to export the goods manufactured out of the capital goods imported under the scheme of import of capital goods under concessional rate of Customs Duty upto 3 times the cif value of the imported machinery; this will be over and above the average annual export performance for the said product during the preceding three licensing years.

(iv) I/We hereby undertake to submit "statement of exports" on 6 monthly basis, within a period of one month from the date of expiry of the six months period, to the Chief Controller of Imports & Exports, Udyog Bhawan, New Delhi failing which I/We shall be liable to action under the Imports and Exports (Control) Act 1947, Imports (Control) Order 1955 and Customs Act 1962.

(v) I/We hereby undertake that any licence granted on the basis of this application shall be liable to cancellation or being made ineffective without any prejudice to any other action that may be taken on this behalf under Imports and Exports (Control) Act 1947, Imports (Control) Order 1955 as amended and the Customs Act 1962, if any information furnished in this application is found to be wrong or incorrect or misleading.

(vi) I/We fully understand that any information furnished in the above statement if proved incorrect or false, will render me/us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

(vii) I hereby certify that I am authorised to verify and sign this statement on behalf of the applicant.

Signature of applicant
Name in block letters
Place: Designation
Date: Full official address
Full residential address

Annexe-II to the Ministry of Commerce Public Notice No. 10-ITC(PN)/90-93 dated 26-4-1990.

APPENDIX XV-N

CERTIFICATE OF EXPORTS RELATING TO THE SCHEME OF IMPORT OF CAPITAL GOODS UNDER THE CONCESSIONAL RATE OF CUSTOMS DUTY

1. Name and address of the Registered Exporter to whom the certificate is issued

2. Particulars of exports covered by this certificate

Sl. No.	Shipping Bill No. & Date	Date of Export	Item of Export	Classification of export product as per Appendix 17 of the Import Policy	FOB value of exports
1	2	3	4	5	6

Total FOB value of exports—

Date: Signature of the Controller of Imports and Exports with Office seal)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990